

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**(वाणिज्य विभाग)**

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 18 .—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 4 और 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निर्यात निरीक्षण परिषद (निदेशक) भर्ती नियम 1991 को उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन वाणिज्य विभाग में निर्यात निरीक्षण परिषद में निदेशक के पद पर नियुक्ति की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, निर्यात निरीक्षण परिषद (निदेशक) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .**—पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में हैं।

4. **निरर्हता .**—ऐसा व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि वहां वह आदेश द्वारा उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य अपेक्षित रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन
(1)	(2)	(3)	(4)
1. निदेशक (निरीक्षण और क्वालिटी नियंत्रण)	(01) (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	स्तर-14 (144200-218200)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा भर्ती की पद्धति : प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	चयन समिति की संरचना
(10)	(11)
<p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा अर्ध सरकारी संगठनों अथवा स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (रु.123100-215900) में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण - 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं है।</p>	<p>चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव, वाणिज्य विभाग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव, वाणिज्य विभाग - सदस्य 3. अपर सचिव, वाणिज्य विभाग - सदस्य

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।
(12)
लागू नहीं होता

[फा.सं.के-16012/17/2019-एक्सपो.इन्स]

दिवाकर नाथ मिसरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 22nd February, 2021

G.S.R. 18.—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the Export Inspection Council (Director) Recruitment Rules, 1991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of appointment to the post of Director in Export Inspection Council in Department of Commerce under the Ministry of Commerce and Industry, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Export Inspection Council (Director) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the post, its classification and the level in pay matrix attached shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**—Nothing in these rules affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection
(1)	(2)	(3)	(4)
Director (Inspection and Quality Control).	(01)(2020). Subject to variation dependent on workload.	Level 14 (144200- 218200).	Not applicable.

Aged-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ deputation/absorption, grades from which promotion or deputation absorption to be made.	Composition of the Selection committee.
(10)	(11)
Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Semi-Government organisations or autonomous bodies holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department with five years regular service in post in level 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900). Note -1: The period of deputation including the period	Selection Committee Consisting of: 1. Secretary, Department of Commerce -Chairman; 2. Additional Secretary, Department of Commerce -Member; 3. Additional Secretary, Department of Commerce -Member.

of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.	
Note-2: The maximum age limit for appointment by deputation to the above post is 58 years as on the closing date of receipt of application.	
Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
(12)	
Not applicable	

[F.No. K-16012/17/2019-Exp. Ins.]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 19.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय में उप औषध नियंत्रक (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी), सहायक औषध नियंत्रक (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध) समूह 'क' पदों तथा औषध निरीक्षक (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध) समूह 'ख' पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय [उप औषध नियंत्रक (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी), सहायक औषध नियंत्रक (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध), समूह 'क' पद और औषध निरीक्षक (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध) समूह 'ख' पद] भर्ती नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।